"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 980] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2025 — पौष 3, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

आदेश

क्रमांक/LAW/3681/21—ब/छ.ग./2025.— राज्य शासन, एतद्द्वारा विधि विभाग के नियम 9 के उप नियम (1D) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के आदेश क्रमांक 567/21—ब/छ.ग./2024 दिनांक 15—01—2024 के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में राज्य शासन की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त एवं कार्यरत विधि अधिकारी क्रमशः अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता की सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.